भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1193

08.12.2025 को उत्तर के लिए

आवासीय परिसर में हाई-बीम लाइटों से होने वाले खतरे

1193. **श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में हाई-बीम एलईडी और फ्लडलाइट्स के उपयोग से चकाचौंध, प्रकाश प्रदूषण और मनुष्यों एवं पशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उच्च-तीव्रता वाले कृत्रिम प्रकाश से उत्पन्न पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या देशभर में शहरी क्षेत्रों में बाहरी प्रकाश की चमक और दिशा को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश या विनियम मौजूद हैं;

(घ) क्या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुपालन नहीं करने पर कोई मानक या दंड प्रस्तावित किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार कब तक प्रकाश प्रदूषण को रोकने और मानव एवं पशु कल्याण की सुरक्षा के लिए विशिष्ट नियमों को अधिसूचित करने का है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तथापि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय मानक ब्यूरो ने आउटडोर प्रकाश व्यवस्था के संबंध में विनियमन, मानक/संहिताएँ तैयार की हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अधिसूचित किए गए मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017 में वाहनों की प्रकाश व्यवस्था के संबंध में यह उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी चालक हाई बीम का अनुचित तरीके से या लंबे समय तक या अच्छी प्रकाशयुक्त सड़कों पर उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा सामने से आ रहे वाहन के नजदीक आने पर या किसी अन्य वाहन

के पीछे गाड़ी चलाते समय कम दूरी रह जाने पर सही समय पर हाई बीम को कम कर देगा।

(ii) आउटडोर प्रकाश व्यवस्था उपकरणों की दीप्ति, दिशा और नियंत्रण के पहलुओं को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रकाशित मानकों में संबोधित किया गया है। आईएस 1944 सार्वजनिक मार्गों की प्रकाश व्यवस्था के लिए आचार संहिता, बाहरी/सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रकाश का स्तर, एकरूपता, चकाचौंध नियंत्रण और प्रकाश की उचित दिशा की आवश्यकताओं को प्रदान करता है।

(iii) बीआईएस द्वारा प्रकाशित आउटडोर प्रकाश व्यवस्था पर भारत का राष्ट्रीय प्रकाश संहिता (एनएलसी) 2025 के बाहरी प्रकाश व्यवस्था खंड में अनुशांसित में प्रकाश का स्तर, बैकलाइट, अपलाइट, ग्लेयर रेटिंग स्वीकार्य अपलाइट अनुपात, चकाचौंध सीमा के उपाय, रोशनी को नियंत्रित करने की आवश्यकताएं और प्रकाश, प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए जिम्मेवार प्रकाश व्यवस्था संबंधित दिशानिर्देश जारी किए है।

(iv) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित राजमार्ग सुरक्षा संहिता, सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित सड़क यात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। यह संहिता रात्रि के समय होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रदान करती है:

क. दूसरे वाहनों से आमने सामने होते समय हमेशा अपनी गाड़ी के हेडलाइट्स कम रखें। आपकी गाड़ी की हाई बीम हेडलाइट्स से ड्राइवर की आखों में अचानक पड़ने वाली रोशनी से वह आपकी गाड़ी को टक्कर मार सकता है।

ख. किसी दूसरे वाहन के पीछे चलते समय अपनी हेडलाइट्स कम कर दें। आपकी गाड़ी की रोशनी की चकाचौंध उसके रियरव्यू मिरर पर पड़ने से उसकी दृष्टि कम हो सकती है और दुर्घटना हो सकती है।

ग. ओवरटेक करते समय, अपनी गाड़ी की रोशनी को कम रखें। अगर सामने से आ रही गाड़ी अभी भी हाई बीम पर है, तो संकेत के तौर पर अपनी गाड़ी की रोशनी को ऊपर-नीचे झपकाएँ। अगर वह समय पर अपनी रोशनी कम नहीं करता, तो जवाबी कार्रवाई में आप संयम रखें ।

*****